

जन वितरण प्रणाली की जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को शिकायत पर कार्रवाई न होने अथवा कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर अपील हेतु आवेदन का नमूना

प्रेषक,

दिनांक:-

नाम -

ग्राम - , पंचायत -

प्रखंड - , जिला

फोन नंबर (यदि हो तो).....

प्रेषित:

राज्य खाद्य आयोग

ई- 1/8, निबंधन कार्यालय के सामने

साकेतनगर , हिन् , रांची , पिन - 834002

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत अपील ।

महोदया/महोदय,

मैंने दिनांक _____ को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, _____ को मुझे राशन न मिलने / कम मिलने की शिकायत की थी (आवेदन की प्रति पावती और अन्य प्रमाणों के साथ संलग्न है) । इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का ये उल्लंघन है। आपसे निवेदन है कि मुझे कानून सम्मत न्याय दिलाने की कृपा करें । साथ ही अनुरोध है मुझे कानून की धारा 8 अंतर्गत मुवावजा भत्ता भी दिलवाया जाए और दोषी अधिकारी के ऊपर कानून कि अवहेलना करने के आरोप में उनपर कानून सम्मत उचित कार्रवाई की जाए ।

संलग्न - १. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी , रांची को जमा शिकायत पत्र की कॉपी (पावती एवं प्रमाण के साथ)

अपीलकर्ता का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

नाम -

(नोट: यदि सामूहिक अपील हो तो सभी अपीलकर्ताओं का नाम और हस्ताक्षर आवश्यक होगा जो अपील कर रहे हैं)